रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2001] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2011/आश्विन 25, 1933
No. 2001] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2011/ASVINA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2011

आय-कर

का.आ. 2394(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 1) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 नवम्बर 2011 को प्रवृत होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(अ) नियम 114 में,-

(क) उपनियम (1) में, "फार्म 49क" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "यथास्थिति, या प्ररूप 49कक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में,-

(i) "लेखा वर्ष" शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "वित्त वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(iv) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कोई राशि या आय या रकम अभिप्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन किसी वित्त वर्ष में, ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कर की कटौती की जानी है ।";

(ग) उपनियम (4) में, "नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 2 में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ 3 में वर्णित दस्तावेज भी लगाए जाएंगे" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 2 में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ 3 में वर्णित प्ररूपों में फाइल की जाएगी और इसके साथ स्तंभ 4 में वर्णित दस्तावेज संलग्न होंगे" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	आवेदक	प्ररूप	पहचान और पते के सबूत के रूप में दस्तावेज.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है	49क	(i) पहचान का सबूत - (क) विद्यालय छोडने का प्रमाणपत्र ; या (ख) दसवीं का प्रमाणपत्र; या (ग) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था की डिग्री; या (घ) निक्षेपागार खाता; या (ङ) क्रेडिट कार्ड; या (च) बैंक खाता ; या (छ) पानी का बिल; या (ज) राशन कार्ड; या (झ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या (ञ) पासपोर्ट; या (ट) मतदाता पहचानपत्र; या (ठ) चालन अनुज्ञप्ति; या (ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र, की प्रति । किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । (ii) पते का सबूत- (क) बिजली का बिल ; या (ख) टेलीफोन का बिल ; या (ग) निक्षेपागार खाता; या (घ) क्रेडिट कार्ड; या (ङ) बैंक खाता; या (च) राशन कार्ड; या (छ) नियोक्ता प्रमाणपत्र; या (ज) पासपोर्ट; या (झ) मतदाता पहचानपत्र; या (ञ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या

			(ट)चालन अनुज्ञप्ति; या (ठ) भाटक की रसीद; या (ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र, की प्रति । टिप्पण 1 : किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । टिप्पण 2 : किसी भारतीय नागरिक के भारत से बाहर रहने की दशा में निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य (एनआरई) बैंक खाता विवरणियों की प्रति ।
2.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	49क	(क) आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पते को दर्शाते हुए हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता का शपथपत्र ; और (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के संबंध में क्रम सं. 1 में उल्लिखित व्यष्टि की दशा में पहचान और पते के सबूत के रूप में लागू किसी दस्तावेज की प्रति ।
3.	भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49क	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ।
4.	फर्म (जिसमें भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत सीमित भागीदारी भी है)	49क	(क) फर्मों/सीमित दायित्व भागीदारियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ख) भागीदारी विलेख की प्रति ।
5.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49क	(क) न्यास विलेख की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ।
6.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति)	49क	(क) करार की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता साबित होता हो ।
7.	व्यष्टि जो भारत के नागरिक नहीं हैं	49कक	(i) पहचान का सबूत :- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या

			(ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ii) पते का सबूत :- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति; या (च) भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति; या (छ) भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी परमिट की प्रति; या (ज) विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय पता उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति; या (झ) प्रदान किए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते (मूल प्रति) का प्रमाणपत्र ।
8.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
9.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल

			अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
10.	भारत से बाहर बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत फर्म	49कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
11.	भारत से बाहर बनाया गया व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
12.	भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कोई अन्य निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 49क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)	प्ररूप सं0 49क **स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें				केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)
फोटो पर हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान					हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान
	निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)				
	क्षेत्र कोड	एओ टाईप	रेंज कोड	एओ सं0	

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जाए ।
मैं/हम आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूं/रहे हैं :

1 पूरा नाम (पहचान/पते के सबूत वाले दस्तावेजों में लिखे अनुसार पूरा नाम वर्णित किया जाना है : संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं है)
कृपया चुने यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

2 क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? हां नहीं (जो लागू हों निशान लगाएं)
यदि हां, कृपया वह नाम दें
कृपया चुने यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

3 लिंग (केवल व्यष्टि आवेदकों के लिए) पुरुष स्त्री (जो लागू हों निशान लगाएं)

4 जन्म/व्यष्टि निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/गठन की तारीख

दिन मास वर्ष

5. पिता का नाम (केवल व्यष्टि आवेदक के लिए : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम	

6 पता

निवास का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0	

परिसर का भवन/ग्राम/नाम	

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर	

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-खंड	

नगर/शहर/जिला	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिनकोड/जिप कोड	देश का नाम

कार्यालय का पता

कार्यालय का नाम	

फ्लैट/ कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0	

परिसर भवन/ग्राम का नाम	

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर	

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग	

नगर/शहर/जिला	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिनकोड/जिप कोड	देश का नाम

7 संसूचना के लिए पता   निवास   कार्यालय   (जो लागू हों निशान लगाएं)

8 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

9 आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने यथा लागू

सरकारी

व्यष्टि हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भागीदारी फर्म व्यक्तियों का संगम

न्यास व्यष्टियों का निकाय स्थानीय प्राधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी

10 रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी, फर्म आदि के लिए)

11 क्या भारत का नागरिक है ? हां नहीं (जो लागू हों निशान लगाएं)

12 आय का स्रोत कृपया प्रास्थिति चुनें जो लागू हों

आय

व्यवसाय/कारबार से आय कारबार/व्यवसाय कोड बिंदु सं012 पर सारणी निर्दिष्ट करें

गृह संपत्ति से आय

पूंजि अभिलाभ

अन्य स्रोतों से आय

काई आय नहीं

13 प्रतिनिधिक निर्धारिती

प्रतिनिधिक निर्धारिती का पूरा नाम, पता जो उस व्यक्ति के संबंध में आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय हैं जिसकी विशिष्टियां स्तंभ 1-12 में दी गई हैं

पूरा नाम (पूरा नाम/संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं)

कृपया चुनें जो लागू हों श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

(आरए) का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार /ब्लाक सं0

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग	

नगर/शहर/जिला	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिनकोड

14 पहचान के सबूत (पीओआई) तथा पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

मैंने/हमने	को पहचान के साक्ष्य तथा को पते के साक्ष्य के रूप में संलग्न कर दिया है

मैं आवेदक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान		
तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर/ बांए अंगूठे का निशान (बाक्स के भीतर)

केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)	**प्ररूप सं0 49कक** **स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें				केवल 'व्यष्टियों' को नवीनतम फोटो चिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)
फोटो पर हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान					हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान
	निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)				
	क्षेत्र कोड	एओ टाईप	रेंज कोड	एओ सं0	

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी लेखा संख्या आबंटित की जाए ।
मैं/हम नीचे आवश्यक विशिष्टियां दे रहा हूं/रहे हैं :

1 पूरा नाम (पहचान/पते के सबूत वाले दस्तावेजों में लिखे अनुसार पूरा नाम वर्णित किया जाना है : संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं है)
कृपया चुनें यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	

2 क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)
यदि हां, कृपया वह नाम दें
कृपया चुने यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम	
प्रथम नाम	

मध्य नाम																									

3 लिंग (केवल व्यष्टि आवेदकों के लिए) पुरुष स्त्री (जो लागू हो निशान लगाएं)

4 जन्म/व्यष्टि निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/गठन की तारीख

दिन मास वर्ष

5. पिता का नाम (केवल व्यष्टि आवेदक : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

अंतिम नाम/उपनाम																									

प्रथम नाम																									

मध्य नाम																									

6 पता

निवास का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0																									

परिसर भवन/ग्राम का नाम																									

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर																									

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग																									

नगर/शहर/जिला																									

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड/जिप कोड देश का नाम

7 संसूचना के लिए पता निवास कार्यालय (जो लागू हो निशान लगाएं)

8 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

9 आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने जैसा लागू हो सरकारी

व्यष्टि हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब कंपनी भागीदारी फर्म व्यक्तियों का संगम

न्यास व्यष्टियों का निकाय स्थानीय प्राधिकारी कृत्रिम विधिक व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी

10 रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी, फर्म आदि के लिए)

11 क्या भारत का नागरिक है ? हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)

12 आय का स्रोत कृपया प्रास्थिति चुनें जो लागू हों

वेतन
व्यवसाय/कारबार से आय कारबार/व्यवसाय कोड बिंदु सं0 12 पर सारणी निर्दिष्ट करें
गृह संपत्ति से आय

पूंजि अभिलाभ
अन्य स्रोतों से आय
काई आय नहीं

13 प्रतिनिधिक निर्धारिती

प्रतिनिधिक निर्धारिती का पूरा नाम, पता जो उस व्यक्ति के संबंध में आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय हैं जिसकी विशिष्टियां स्तंभ 1-12 में दी गई हैं

पूरा नाम (पूरा नाम संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं)
कृपया चुनें यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

आरए का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लाक सं0

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/स्ट्रीट/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पिनकोड

14 पहचान के सबूत (पीओआई) तथा पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

मैंने/हमने	को पहचान के साक्ष्य तथा को पते के साक्ष्य तथा को अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर दिया है

(कृपया लागू होने वाले प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए उपाबंध देखें)

16 केवाईसी विवरण

(क) केवल व्यष्टियों की दशा में (जो लागू हो निशान लगाएं)

वैवाहिक स्थिति अविवाहित विवाहित तलाकशुदा विधवा/विधुर

विदेशी भारतीय मूल का व्यक्ति अप्रवासी भारतीय नागरिक

(ख) गैर व्यष्टियों की दशा में (जो लागू हो निशान लगाएं)

( ) निजी कंपनी ( ) पब्लिक कंपनी ( ) कारपोरेट निकाय ( ) वित्तीय संस्था

( ) गैर सरकारी संगठन ( ) पूर्त संगठन

(ग)

सकल वार्षिक आय-भारतीय रुपये में	
कुल मूल्य (दायित्वों को घटाकर आस्तियां) भारतीय रुपये में	

(घ) पब्लिक कंपनी के मामले में, क्या वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)
यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम इंगित करें

(ङ) हिताधिकारी स्वामी हां नहीं (जो लागू हो निशान लगाएं)

(च) क्या अस्तित्व निम्नलिखित में से किन्ही सेवाओं से जुड़ा है/सेवाएं प्रदान कर रहा है (जो लागू हो निशान लगाएं)

विदेशी विनिमय, मनी चेंजर सेवाएं हां नहीं

गेमिंग/जुआ/लाटरी सेवाएं (केसीनो और बेटिंग सिंडीकेट) हां नहीं

धन उधार देना, गिरवी रखना हां नहीं

(छ) क्या आप या आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरी/न्यासी/पदधारी निम्नलिखित हैं :

राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हां नहीं
राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों से संबंधित हां नहीं
(राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की परिभाषा के लिए पीएमएलए दिशानिर्देश देखें)

(ज) निवास के देश में करदाता पहचान संख्यांक

मैं/हम आवेदक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर किए गए कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

मैं/हम क्र0 सं0 13 में दिए गए मेरे/हमारे प्रतिनिधि को मेरी/हमारी ओर से स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं

<table>
<tr><td>स्थान</td><td colspan="8"></td><td></td></tr>
<tr><td>तारीख</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>आवेदक के हस्ताक्षर/ बांए अंगूठे का निशान (बाक्स के भीतर)</td></tr>
</table>

[अधिसूचना सं. 56/2011/फा. सं. 133/48/2011-एस.ओ.(टीपीएल)]

आशीष मोहन्ती, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) दिनांक 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1497(अ) आयकर (छठवां सशोधन) नियम, 2011 दिनांक 1-7-2011 द्वारा संशोधित किया गया था।